

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 245]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 अगस्त 2024—श्रावण 30, शक 1946

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2024

क्र. एफ-12-1-रा.स.-यू.ए.-5-2016-1044.—जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी के द्वारा निम्नलिखित विधायकगणों को अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (नौ) के अंतर्गत राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल में सदस्य मनोनीत किया जाता है :-

1. श्रीमती मनीषा सिंह,
माननीय विधायक,
निवास-वार्ड नं.-6, पाण्डव नगर,
सरस्वती हायर सेकेन्ड्री स्कूल के पास,
जिला शहडोल (म. प्र.).
2. डॉ. अभिलाष पाण्डेय,
माननीय विधायक,
निवास-मकान नं.-5, बेदी नगर,
नागपुर रोड, सूपाताल, मदन महल,
जिला जबलपुर (म. प्र.).
3. श्री नारायण सिंह पटा,
माननीय विधायक,
निवास-ग्राम-खमतरा,
पोस्ट-थाना व तहसील घुघरी,
जिला मण्डला (म. प्र.).

कुलाधिपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,

उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव.